22/10/18- वकील वादी हाजिर। प्रति० हाजिर। बाद
बहस व अवलोकन पत्रावली वादी
का वाद तनकीहात निर्णायक के
जवाब/रिपोर्ट के आधार पर खारिज
किया जाकर निर्णय किया जाता है।
निर्णय पृथक से लिखकर खुले
न्यायालय में सुनाया जाकर हस्ताक्षरित किया गया है। पश्चात डिक्री जारी
होवे। पत्रावली फैसल शुमार होकर
दफ्तर में जमा हो।

(हस्ताक्षर)
सहायक कलेक्टर
(फास्ट ट्रैक) बूंदी

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्ट ट्रेक) दूदू (जयपुर)

पीठासीन अधिकारी – श्री जगदीशप्रसाद गुर्जर आर.ए.एस.

राजस्व वाद–पत्र संख्या 07 / 2017
वाद दायरी दिनांक : 06 / 09 / 2017
निर्णय दिनांक : 22 / 10 / 2018

रघुवीर सिंह उर्फ यदुराज सिंह पुत्र श्री मदन सिंह दत्तक पुत्र रोड सिंह, जाति राजपूत, निवासी लोरडी, तहसील मौजमाबाद, जिला जयपुर, राज0।

-- वादी

बनाम

तहसीलदारजी, तहसील मौजमाबाद, जिला जयपुर, राज0।

-- प्रतिवादी

वाद बाबत घोषणा व स्थायी निषेधाज्ञा
(अन्तर्गत धारा 88 राज0 काश्त0 अधि0–1955)

उपस्थिति – श्री भगवान सिंह राजावत
श्री कुशराज सिंह राजावत
विद्वान अधिवक्ता वादी

प्रतिवादी की ओर से पैरोकार उपस्थित।

निर्णय दिनांक 22/10/18

–: निर्णय :–

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि वादी ने एक वाद–पत्र बावत घोषणा व स्थायी निषेधाज्ञा विरूद्ध प्रतिवादी इस आशय का पेश किया कि वादी ग्राम लोरडी तहसील मौजमाबाद जिला जयपुर राज0 का रहने वाला है जो जायंदा लडका ठाकुर मदन सिंह जी का है। स्व0 मदन सिंह जी के तीन पुत्र थे रघुराज सिंह मिन वादी रघुवीर सिंह उर्फ यदुराज सिंह व शंकर सिंह हुये परिवार के अन्य भाई स्व0 रोड सिंह के कोई जायंदा पुत्र नही था इसलिए हिन्दू रिती रिवाज अनुसार मृत्यू उपरान्त व जीवनकाल में धार्मिक व सामाजिक पारिवारीक रिति रिवाज अनुसार सम्पन्न करने के लिये वादी के जायंदा पिता मदन सिंह जी ने वादी को ठाकुर रोड सिंह को गोद दे दिया इसलिए वादी की वल्दियत रघुवीर सिंह उर्फ यदुराज सिंह दत्तक पुत्र रोड सिंह दर्ज होनी चाहिये थी लेकिन वादी को सीधा ही रघुवीर सिंह पुत्र मदन सिंह दत्तक पुत्र रोड सिंह दर्ज नही करके राजस्व रिकार्ड में यदुराज सिंह पुत्र रोड सिंह अंकित कर दिया गया इस प्रकार वादी एकमात्र रघुवीर सिंह उर्फ यदुराज सिंह पुत्र मदन

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक) दूदू

सिंह एवं दत्तक पुत्र रोड सिंह एक ही व्यक्ति है। आराजी खसरा नम्बर 606 लगायत 618, 623, 624, 627 व 1760 कुल किता 17 कुल रकबा 16.0800 हैक्टेयर वाके ग्राम लोरडी तहसील मौजमाबाद जिला जयपुर में स्थित है जिसमें वादी को यदुराज सिंह पुत्र रोड सिंह जाति राजपूत सा.देह खातेदार दर्ज किया हुआ है जबकि मतदाता सूची, पहचान पत्र एवं आधार कार्ड में रघुवीर सिंह पुत्र मदन सिंह दर्ज है। आराजी खसरा नम्बर वर्णित पैरा संख्या 2 को विकसित करने के लिये सरकारी सहकारी एवं विभिन्न संस्थाओं से ऋण प्राप्त करने में वादी को भारी नुकसान हो रहा है क्योंकि आई डी, आधार कार्ड, राशन कार्ड व वोटर लिस्ट में रघुवीर सिंह पुत्र मदन सिंह दर्ज है जबकि वादी रघुवीर सिंह उर्फ यदुराज सिंह पुत्र मदन सिंह दत्तक पुत्र रोड सिंह है तथा इन दोनो नामों से ही वादी जाना पहचाना जाता है। वाद कारण दिनांक 04.08.2017 को उत्पन्न हुआ जब वादी ने पूर्व प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 136 एल आर एक्ट प्रार्थना पत्र संख्या 08/17 उनवानी रघुवीर सिंह बनाम तहसीलदार को विड्रा कर नया वाद प्रस्तुत करने की अनुमति दी तो वादी ने अपने अधिकारों की घोषणा करने के लिये यह वाद प्रस्तुत करना लाजिमी हुआ है।

वादी ने वाद–पत्र के अन्य बिन्दूओं के साथ–साथ वाद कारण अंकित करते हुये दादरसी चाही कि वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा इस आशय की फरमायी जावे कि जमाबंदी सम्वत 2070 से 2073 में वादी का खतौनी संख्या 298 के खसरा नम्बर 606 लगायत 618, 623, 624, 627, 1750 कुल किता 17 कुल रकबा 15.0800 हैक्टेयर वाके ग्राम लोरडी तहसील मौजमाबाद में वादी का नाम रघुवीर सिंह उर्फ यदुराज सिंह पुत्र मदन सिंह दत्तक रोड सिंह जाति राजपूत निवासी लोरडी तहसील मौजमाबाद के नाम की घोषणा फरमायी जावे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर तलबी प्रतिवादी जारी की गयी। प्रतिवादी की ओर से पैरोकार उपस्थित होकर जवाब/तथ्यात्मक रिपोर्ट पेश हुयी, जो शामिल पत्रावली की गयी। दिनांक 03/05/2018 को पत्रावली अटल सेवा केन्द्र ग्राम पंचायत धमाणा में पेश हुई। वकील वादी ने फर्द मौका रिपोर्ट पटवारी लोरडी व प्रमाण–पत्र ग्राम पंचायत धमाणा पेश किया। पत्रावली नियमित न्यायालय में पेश हुयी। वकील वादी ने साक्ष्य पेश न कर सीधी बहस करना जाहिर किया।

विद्वान अधिवक्ता वादी तथा पैरोकार राज की बहस सुनी गयी।

हमने विद्वान अधिवक्ता वादी व पैरोकार की बहस का ध्यानपूर्वक मनन किया तथा पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया। वादी द्वारा प्रस्तुत वाद–पत्र,

सहायक कलक्टर,
(फास्ट ट्रेक) दूदू

दस्तावेजात चालू जमाबन्दी, ग्राम पंचायत का प्रमाण-पत्र, शपथ-पत्र एवं अन्य दस्तावेजात तथा पैरोकार द्वारा प्रस्तुत जवाब का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। अवलोकन से स्थिति इस प्रकार पायी गयी कि जमाबन्दी सम्वत 2070-2073 के खाता संख्या 298 में वादी का नाम यदुराज सिंह पुत्र रोडू सिंह सा0 देह दर्ज है, जिसको वादी दुरूस्त करवाकर रघुवीर सिंह उर्फ यदुराज सिंह पुत्र मदन सिंह दत्तक पुत्र रोड सिंह, जाति राजपूत निवासी लोरडी, तहसील मौजमाबाद, जिला जयपुर दर्ज करवाना चाहता हैं। वादी द्वारा प्रस्तुत वाद-पत्र के कथनों के अनुसार वादी जायन्दा पुत्र ठा. मदनसिंहजी का हैं। स्व0 मदनसिंहजी के तीन पुत्र थे रघुराज सिंह, रघुवीर सिंह उर्फ युदराज सिंह व शंकर सिंह। परिवार के अन्य भाई स्व0 रोड सिंह के कोई जायन्दा पुत्र नही था, इसलिये हिन्दू रिति रिवाज अनुसार मृत्यु उपरान्त व जीवनकाल में धार्मिक व सामाजिक पारिवारिक रिति रिवाज अनुसार सम्पन्न करने के लिये वादी के जायन्दा पिता मदन सिंहजी ने वादी को ठा. रोडसिंहजी को गोद दे दिया इसलिये वादी की वल्दियत रघुवीर सिंह उर्फ यदुराज सिंह दत्तक पुत्र रोड़ सिंह दर्ज होनी चाहिये थी, लेकिन वादी को सीधा ही रघुवीर सिंह उर्फ यदुराज सिंह पुत्र मदन सिंह दत्तक पुत्र रोड सिंह दर्ज करके राजस्व रिकार्ड में यदुराज सिंह पुत्र रोड सिंह अंकित कर दिया गया, ग्राम पंचायत धमाणा, पं.स. दूदू जिला जयपुर के अनुसार वादी को यदुराज सिंह पुत्र मदन सिंह एवं यदुराज सिंह पुत्र रोड सिंह के नाम से जाना व पहचाना जाता हैं वादी द्वारा पस्तुत साक्ष्य गवाहान से भी वादी के वादी की पूर्णतया ताईद होती हैं। तहसीलदार मौजमाबाद द्वारा जो तथ्यात्मक रिपोर्ट/जवाब पेश किया गया है उसमें भी वादी के वाद को स्वीकार किया गया है एवं वादी द्वारा चाही गयी राहत प्रदान किये जाने पर राजहित प्रभावित नही होगा, तथ्य अंकित किये गये हैं फर्दे मौका रिपोर्ट दिनांक 19/12/2017 के अवलोकन से भी यह पाया जाता है कि रघुवीरसिंह उर्फ यदुराजसिंह के पिता मदन सिंह ही थे तथा रघुवीर सिंह उर्फ युदराज सिंह पुत्र मदनसिंह को रोडसिंह ने गोद ले लिया था। इस प्रकार उक्त वर्णित दस्तावेजी साक्ष्यों एवं मौखिक साक्ष्यों एवं मजमे आम में जानकारी करने पर यह पाया गया है कि वादी के प्राकृतिक पिता मदन सिंह है एवं दत्तक पुत्र रोड सिंह है, इसलिये अब उपर्युक्त विवेचन अनुसार वादी का वाद डिक्री किया जाना उचित प्रतीत होता हैं।

अतः वादी द्वारा प्रस्तुत वाद-पत्र डिक्री किया जाकर वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 606 लगायत 618, 623, 624, 627, 1750 कुल किता 17 कुल रकबा 15.

सहायक कलेक्टर
(फास्ट ट्रेक) दूदू

Scanned by CamScanner

0800 हैक्टेयर वाके ग्राम लोरडी, तहसील मौजमाबाद, जिला जयपुर में वादी के नाम का वर्तमान इन्द्राज हजफ किया जाकर वादी का नाम रघुवीर सिंह उर्फ यदुराजसिंह पुत्र मदन सिंह दत्तक पुत्र रोड सिंह जाति राजपूत, निवासी लोरडी, तहसील मौजमाबाद, जिला जयपुर, राज0 दर्ज किया जाता हैं। पर्चा डिक्री जारी हो पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 22/10/17 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

मुद्रा

सहायक कलक्टर एवं
कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्ट ट्रेक)
दूदू (जयपुर)

Scanned by CamScanner

राज पंचायत प्रकाशन, जयपुर-3 फोन : 31`'12

डिक्री मुकद्दमा इब्तदाई

(ओ. 20 रूल 6-7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत न्यायालय सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्ट ट्रेक) [illegible]

व इजलास श्री [illegible], [illegible]

रघुवीर सिंह, उर्फ महाराज सिंह बनाम तहसीलदार, तह० [illegible], जिला बूंदी

द्वारा श्री मदन सिंह दत्तक पुत्र दावा बाबत धारा 9 [illegible]

[illegible], जाति राजपूत नि० [illegible] मुकद्दमा न. 97/2017 सन

यह मुकद्दमा आज बररौ इनफिसाल कतई रूबरू श्री [illegible] सिंह राजावत, श्री [illegible] सिंह राजावत

व हाजिरी ,भिनजानिब मुद्दई रूबरू पैरा० सरकार उप०।

भिनजानिब मुद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिगरी दी जाती है कि

अतः वादी द्वारा प्रस्तुत वाद-पत्र डिक्री किया जाकर वादग्रस्त आराजी खं. नं. 606 लगायत 618, 623, 624, 625, 1730 कुल किता 17 कुल रकबा 15.0800 हैक्टेयर [illegible], तह० [illegible] जिला बूंदी [illegible] [illegible] इन्द्राज [illegible] किया जाकर वादी का नाम रघुवीर सिंह

उर्फ महाराज सिंह पुत्र मदन सिंह दत्तक पुत्र [illegible] जाति राजपूत नि० [illegible],

खर्चा व गुजीतों के मय सूद [illegible] तह० [illegible], जिला बूंदी [illegible] किया जाता है। तारीख से

तारीख अदायगी तक का अदा करें।

असब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 22 माह 10 सन् 2018 को

जारी की गई।

मुहर

दस्तखत [signature]

ओहदा सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) बूंदी

[stamp: सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्ट ट्रेक) बूंदी]

मुद्दई	रुपये	पैसे	मुद्दायलह	रुपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प वकालत नामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			महन्ताना वकील		
महन्ताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमिश्नर		
फीस कमिश्नर			बाबत इजराय हुक्मनामा		
बाबत इजराय हुक्मनामा			मुतफरिक		
मुतफरिक					
मीजान			मीजान		

Scanned by CamScanner